संख्या-30/2020/491/52-1-2020-09(पी0एम0जे0वी0के0)/19

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2020

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर, मेरठ एवं सीतापुर में स्वीकृत स्मार्ट क्लास उपकरण हेतु केन्द्रांश की **तृतीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम.एस.डी.पी.-13/143/2018-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 27.12.2018 एवं पत्र संख्या-एम.एस.डी.पी.-13/21/2019-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दि0 15.02.2019 के क्रम में विषयगत परियोजनाओं की प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि क्रमश: शासनादेश संख्या-370/52-1-2019-09(पी.एम.जे.वी.के.)/19 दिनांक 08.03.2019 तथा शासनादेश संख्या-586/52-1-2019-09(पी.एम.जे.वी.के.)/19 दिनांक 28.05.2019 एवं पत्र संख्या–एम.एस.डी.पी.-13/143/2018-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 02.09.2019 के क्रम में विषयगत परियोजनाओं की द्वितीय की धनराशि क्रमश: शासनादेश संख्या-50/2019/1066/52-1-2019-09(पी.एम.जे.वी.के.)/19 दिनांक 25.10.2019 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था **टेलीक्म्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (TCIL) एवं आई0टी0आई0 लिमिटेड लखनऊ** के पक्ष में अवमुक्त की गयी थी। विषयांकित जनपदों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था **आई0टी0आई0 लिमिटेड लखनऊ** नामित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/21/2019-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दिनांक 31.01.2020, द्वारा उपरोक्तानुसार जनपद-बलरामपुर, मेरठ एवं सीतापुर के प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, इण्टर कालेज (बालक/बालिका) में स्वीकृत स्मार्ट क्लास इक्वप्मेण्ट के लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 1337.358 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 534.9432 लाख **(रूपये पांच करोड़ चौतीस लाख चौरान्नबे हजार तीन सौ बीस मात्र)** तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 356.6288 लाख**(रूपये तीन करोड़ छप्पन लाख बासठ हजार आठ सौ अस्सी मात्र)** अर्थात् **कुल रू0 891.572 लाख (रूपये आठ करोड़ इक्यान्नबे लाख सत्तावन हजार दो सौ मात्र)** योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 2250.00 लाख तथा द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 2085.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 4335.00 लाख के

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष उपलब्ध बजट में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) **(रू0 लाख में)**

क्र	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के+रा)	पूर्व में अवमुक्त द्वितीय किश्त (के+रा)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित **तृतीय किश्त**		अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित तृतीय किश्त की कुल धनराशि (के+रा)
										केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**10**	**11**	**12**
1	मेरठ, बलरामपुर, सीतापुर	स्मार्ट क्लास उपकरण	881	2.53	1337.358	891.572	2228.93	668.679	668.679	534.9432	356.6288	891.572
		योग	**881**		**1337.358**	**891.572**	**2228.93**	**668.679**	**668.679**	**534.9432**	**356.6288**	**891.572**

उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका में अंकित परियोजना के सम्बन्ध में 12वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत स्मार्ट क्लास इक्प्वमेण्ट **(कार्यदायी संस्था-आई0टी0आई0 लिमिटेड)** की जनपदवार सूची निम्नवत् है :-

क्र0सं0	**जिला**	**ब्लाक**	**योजना का नाम**	**इकाई सं0**
1	बलरामपुर	बलरामपुर	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	69
2	बलरामपुर	गैसडी	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	128
3	बलरामपुर	पचपेडवा	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	99
4	बलरामपुर	तुलसीपुर	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	88
5	बलरामपुर	गैसडीबुजुर्ग	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	31
6	बलरामपुर	हरैया सतघरवा	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	101
7	बलरामपुर	उतरौला	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	75
8	बलरामपुर	श्रीदत्तगंज	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	53
9	बलरामपुर	रेहरा बाजार	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	42
10	मेरठ	खरखौंदा	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	17
11	मेरठ	जनीखुर्द	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	14
12	मेरठ	सुरूरपुर खुर्द	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	31
13	मेरठ	मेरठ	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	48
14	मेरठ	मवाना	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	13
15	मेरठ	सरधाना	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	6
16	मेरठ	खरखौंदा	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	4
17	मेरठ	राजापुर	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	14
18	मेरठ	माछरा	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	20
19	सीतापुर	खैराबाद	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	8
20	सीतापुर	लहरपुर	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	6
21	सीतापुर	बिस्वां	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	7
22	सीतापुर	महमूदाबाद	स्मार्ट क्लास इक्वपमेण्टस्	7
		योग		**881**

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा** तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था- आई0टी0आई0 लिमिटेड लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता सुधार-(के० 60 /रा० 40-के०+रा०)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान"** के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-237/दस-2020, दिनांक 12.03.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-491(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कार्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, **आई0टी0आई0 लिमिटेड लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
11- लेखाधिकारी/ वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shikshanadesh.up.gov.in